Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांक: 28/02/2019

File No.

(1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
(5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(6) AT/7/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
(7) CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. जिला कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)

2. पुलिस अधीक्षक
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)

विषय :– 1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।

2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में – श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

4. आवेदक के स्वमित्तव की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत– श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने,जाति सूचक गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 हे. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 हे. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किय गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं.635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 21.01.2019 को कलेक्टर सभाकक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाडा (म.प्र.) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

(डॉ. ललित लट्टा) 28/2/2019
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।
2. श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा
3. श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
4. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
5. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
6. श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
7. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
8. श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) कार्यवृत्त

अपीलकर्ता आवेदक :–	श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, निवासी गुमतरा, पोस्ट पायरी तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा म.प्र.
आयोग की फाईल नंबर	UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
सुनवाई / बैठक की तिथि	21/01/2019
सुनवाई /बैठक में उपस्थित अधिकारी	परिशिष्ट क
स्थान	सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

उपरोक्त विचाराधीन आवेदक की अपील / अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा छिन्दवाडा प्रवास के समय कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, निवासी गुमतरा, पोष्ट पायरी तहसी बिछुआ जिला छिंदवाड़ा

1. अपीलकर्ता / आवेदक श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है, का अभ्यावेदन आयोग को 01/07/2018 को प्राप्त हुआ जिसका परीक्षण किया गया और प्रकरण दर्ज कर नोटिस के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त कर स्थिति ज्ञात करने का निर्णय लिया गया।
2. सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्देशानुसार नोटिस कमांक **UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III** दिनॉक **13 July 2018** जारी करते हुए कलेक्टर छिन्दवाड़ा को 30 दिवस में डाक के माध्यम से अथवा उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया।
3. निर्धारित समयावधि के उपरांत सुनवाई की तारीख निर्धारित होने और सुनवाई तक संबंधित कार्यालय द्वारा आयोग को किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की गई।
4. अपीलकर्ता के अनुसार खसरा कमांक 186/6 एवं 275/1 प.ह.न. 9 रा.नि.म. बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा की भूमि पर उसका मालिकाना हक में नाम दर्ज है जिसके उसने मालिकाना हक के अभिलेख प्रस्तुत किये हैं। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन खसरे की भूमि से ही उसका जीवन–यापन होता है और अन्य कोई जरिया नहीं है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. अपीलकर्ता के अनुसार अनावेदक श्री नान्हों सिंग पिता श्री चौखे रघुवंशी ग्राम गुमतरा विकासखण्ड तहसील बिछुआ द्वारा उसकी भूमि पर काश्त की जा रही है। अतएव उन्हें उसकी मालिकाना हक की भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

6. तहसीलदार बिछुआ द्वारा सुनवाई के दौरान कलेक्टर छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनॉक 21 जनवरी 2019 के अनुसार विचाराधीन भूमि अपीलकर्ता / आवेदक श्री उधो पिता श्री पितरू के नाम पर दर्ज पाई गई है। साथ ही यह भी पाया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक की भूमि पर अनावेदक श्री येगुनसिंह पिता दौलतसिंह रघुवंशी निवासी गुमतरा तथा श्री बोधसिंह उर्फ नान्हों रघुवंशी पिता श्री चौखे रघुवंशी निवासी गुमतरा के द्वारा कास्त कर गन्ना फसल लगाई गई है।

निर्णय एवं निष्कर्ष

- सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता तथा प्रशासन के तथ्यों का श्रवण करने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन भूमि पर अपीलकर्ता का मालिकाना हक दर्ज है। यह भी स्पष्टरूप से सिद्ध है कि अनावेदकों द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।
- यह भी स्पष्ट है कि आयोग के प्रथम नोटिस जारी होने की दिनॉक 13 जुलाई 2018 के उपरांत से सुनवाई तक जिले के राजस्व प्रशासन द्वारा आवेदक की अपील तथा आयोग के नोटिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका।
- सुनवाई के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि एक सप्ताह में परीक्षण कर अपीलकर्ता को कब्जा दिलाने की आवश्यक कार्यवाही करते हुए तथ्यों से आयोग को अवगत करायेगें ताकि आवेदक की समस्या का निरारण हो सके।
- अतएव एक सप्ताह में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये संबंधित अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत करावें।
- आयोग के नोटिसों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है,क्योंकि यदि उक्त सभी प्रकरणों में प्रशासन ध्यान देता तो इनका निराकरण समयावधि में संभव था। <u>कलेक्टर, आयोग के नोटिसों और पत्रों का उत्तर समयावधि में भिजवाने की व्यवस्था एवं स्वंय की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।</u>

(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) उपस्थिति पत्रक

अपीलकर्ता आवेदक :–	श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, निवासी गुमतरा, पोष्ट पायरी तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा म.प्र.
आयोग की फाईल नंबर	UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
सुनवाई / बैठक की तिथि :	21/01/2019
स्थान :	सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

- सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली
- श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी, मान. उपाध्यक्ष महोदया के सहायक निज सचिव

जिला प्रशासन छिन्दवाड़ा

- श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा।
- तहसीलदार, बिछुआ श्रीमती अनीता भोयर ।

अपीलकर्ता आवेदकगण

- श्री उधो इरपाची